

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबत्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 396 / 2025

वाद पत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

दर्शन सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर  
बनाम

वादी

1. मधर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर.
2. बलविन्द्र कौर पत्नी बहादुर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
3. रानी पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन  
तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 26.12.2025

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई  
हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील  
प्रतिवादी 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से  
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 16 एमकेएस

1. दर्शन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर प.न. 161 / 228 मु.न. 54 का किला  
न. 3 / 2 / 0.123,18 / 2 / 0.111,19 / 2 / 0.111,22 / 2 / 0.052,23 / 2 / 0.053 कुल 0.450 हैक्ट.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर  
दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो  
उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी  
न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर  
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया  
के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4423 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि  
रहन मुक्त होने के पश्चांत ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के  
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निजं..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12.2025 को खुले न्यायालय  
में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया